ईमेल

पत्र संख्या–20/विविध–01–17/2017 सा॰प्र॰........./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 2017

विषयः– जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभिन्न जिलों से विभिन्न पदों पर संविदा नियोजन के प्रस्ताव पर अनुमोदन या संविदा नियोजन के पश्चात् घटनोत्तर अनुमोदन का अनुरोध विभाग में प्राप्त हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(2)(क)(ii) में प्रावधानित है कि *"चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।* उक्त प्रावधान के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि **"जिला स्तरीय संवर्ग के लिये, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 में विहित प्रावधान के तहत 60 वर्ष से 65 वर्ष तक की अवधि तक संविदा नियोजन के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति अपेक्षित नहीं है।"**

विश्वासभाजन

ह0/–
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–20/विविध–01–17/2017 सा॰प्र॰13331**/ पटना–15, दिनांक** 18-10- **2017**

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी को सूचित करने एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

18/10/17

सरकार के अवर सचिव।

E\Ek\Him\Leter